



डा० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

संख्या : लो०अ०वि०/सम्ब०/२०१९/३२५

दिनांक : ०५—०८—२०१९

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य,
चन्द्रशेखर पाण्डेय महाविद्यालय,
बुरिहा, कौंधा, अयोध्या।

विषय: मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित न होने के कारण आपके महाविद्यालय में लगे प्रवेश प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में सूच्य है कि आपके महाविद्यालय में संचालित जिन पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित न पाये जाने के कारण इस शर्त के साथ प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबन्धित कर दिया गया था कि आप सम्बन्धित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में 30 जून, 2019 तक मानकानुसार शिक्षकों का चयन/अनुमोदन करा लें। परन्तु आप द्वारा अभी तक प्रवेश प्रतिबन्धित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में मानकानुसार शिक्षकों का चयन/अनुमोदन नहीं कराया गया है।


अतः आपको पुनः अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए सूचित किया जाता है कि प्रवेश प्रतिबन्धित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में दिनांक 15 अगस्त 2019 तक प्रत्येक दशा में चयन/अनुमोदन करा लें, यदि उक्त तिथि तक चयन/अनुमोदन नहीं कराया जाता है तो सम्बन्धित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 में उल्लेखित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बद्धता वापस लिए जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव कुलपति को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. प्रोग्रामर ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र प्रश्नगत महाविद्यालय के कालेज लाग-इन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।


कुलसचिव